

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

( नियम 26 )

जज अदालत... उपरवडा अधिकारी ..... मुकाम ..... पंजाब

..... मंगू शम ..... बनाम ..... सरकार .....

किस्म मुकदमा नाम दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 नं. 16/22 सन् 2022  
LRACJ 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.06.2022	<p>प्रार्थी मंगूशम पुत्र कालूराम जीति-                      वैरग निवासी - छावडी रेवेडा तह.- वैजूपाडा                      ने प्रार्थना पत्र नाम दुरस्ती अन्तर्गत                      धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956                      प्रशासन गांवो के संग. अन्विधान 2021                      फॉलोअप कैम्प मु. अ. नि. वृत वैजूपाडा                      में प्रस्तुत कर वाके ग्राम-छावडीरेवेडा                      तहसिल वैजूपाडा की जभाबंदी संवत्                      2073 - 2076 के खाता संख्या जभा                      84 व लुयाना 81 में दर्ज मांगीलाल                      पुत्र कालू के स्थान पर <sup>मंगूराम पुत्र</sup> कालूराम                      करने हेतु निवेदन किया जिल के                      साथ ताईद के रूप में राशन कार्ड,                      जनआधार कार्ड, वोटर. आई. पहचान                      पत्र एवं ग्राम पंचायत <del>वैजूपाडा</del> छावडीरेवेडा                      प.स. वैजूपाडा का प्रमाण पत्र पेश किया।                      प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र                      की जांच परवारी हल्का छावडीरेवेडा</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज	नम्बर य तारीख जो इस हुकम में जारी हुए
	<p>ILR बैजूपाडा एवं तहसीलदार बैजूपाडा से करारि गरि । उम्त ने अपनी संयुक्त जॉन्च रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके मुताबिक मांगीलाल पुत्र कालू एवं मंगूराम पुत्र कालूराम एउ ही व्यक्ति है। साथ ही ग्राम छावडीरेवा तह-बैजूपाडा की जमाबंदी संवत 2073-76 के खता संख्या 84 में मांगीलाल पुत्र कालू के स्थान पर मंगूराम पुत्र कालूराम करने की अलिशंघा की । ग्राम पंचायत छावडीरेवा ने अशुद्ध नाम मांगीलाल पुत्र कालू के स्थान पर मंगूराम पुत्र कालूराम दुरस्त दिखे जाते की अलिशंघा की ।</p> <p>हमने पटवारी हल्का छावडीरेवा ILR बैजूपाडा व तहसीलदार बैजूपाडा की संयुक्त जॉन्च रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ तर्क के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं शिबिर में उपस्थित आमजन से जानकारी ली जाई । प्रार्थी का शुद्ध नाम मंगूराम पुत्र कालूराम होना पाया गया । उपरोक्त निवेदन के आधार पर प्रार्थी के जमाबंदी में अशुद्ध नाम मांगीलाल पुत्र कालू के स्थान पर मंगूराम पुत्र कालूराम शुद्ध किया जाना इतिर प्रतिय है ।</p>	<p>नम्बर य तारीख जो इस हुकम में जारी हुए</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>उतर: आदेश दिखे जाते है राजस्व जमाबंदी संवत 2073-76 के खता छावडीरेवा तह-बैजूपाडा के खता संख्या नया 84 व पुराना 81 में दर्ज नाम मांगीलाल पुत्र कालूराम स्थान पर मंगूराम पुत्र कालूराम दर्ज किया जावे । शेष इन्डाजार जमाबंदी यथावत रहेगा । तहसीलदार बैजूपाडा के निमनानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल परामर्श करने हेतु लिखा जावे ।</p> <p>प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लेने के कारण दर्ज रजिस्टर किया जाकर फेसल शुमार है। पत्रावली बाद तहसील इन्डिज दफ्तर है।</p>	<p>नम्बर य तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए</p>

शिबिर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)